न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी, श्री नेमा राम, आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या – 49 / 2025
जीसीएमएस सं. – 2025 / 258

वादी
भागूराम पुत्र नेनाराम जाति माली
निवासी कोसाणा तहसील पीपाड़ शहर

बनाम

प्रतिवादी
भूमिधारी जरिये तहसीलदार पीपाड़ शहर।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित अधिवक्ता :– दर्ज तारीख :– 09.06.2025

1. श्री मंसूर अली, अधिवक्ता वादी।
2. प्रतिवादी तहसीलदार पीपाड़ शहर।

निर्णय

दिनांक : 13.10.2025

वादी ने एक राजस्व वाद पत्र धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि ग्राम कोसाणा पटवार मण्डल कोसाणा तहसील पीपाड शहर की राजस्व सीमा में कृषि भूमि खसरा संख्या 1812 रकबा 0.4865 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन बाड़ा आई हुई है जो राजस्व रेकर्ड में खाता संख्या नया 668 पर इन्द्राजसुदा है। उक्त वादग्रस्त आराजी की नकल जमाबदी सर्वे आधार संम्वत 2081 की प्रमाणित प्रति सलग्न पेश की। वादी का घरेलु नाम मला था तथा सभी मला के नाम से ही पुकारते थे इसलिए राजस्व रेकर्ड में वादग्रस्त आराजी में वादी का नाम मला पुत्र नैना इन्द्राज कर दिया गया जबकि वादी का सही नाम भागूराम है जो उसके आधार कार्ड में इन्द्राज है व ग्राम कोसाना में ही स्थित अन्य कृषि भूमि खसरा संख्या 1811 में भी भागूराम पुत्र नेनाराम इन्द्राज है । वादी वादग्रस्त आराजी में अपना नाम सही करवाने के लिए वादी द्वारा दिनांक 03.06. 2025 को तहसीलदार पीपाड शहर के समक्ष अपना नाम वादग्रस्त आराजी में शुद्धि के लिए आवेदन किया गया जिस पर वादी को सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने की सलाह देते हुए आवेदन को लौटा दिया गया जिस पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर के समक्ष वाद पेश करने के अलावा वादी के पास विकल्प नही होने पर वादी द्वारा उक्त वाद मला पुत्र नैना के स्थान पर भागूराग पुत्र नेनाराम कि घोषणा किये जाने हेतु प्रस्तुत किया। वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादी के विरूद्ध इस आश्य की घोषणा की डिकी सादर फरमायीं जावे कि ग्राम कोसाना में स्थित वादग्रस्त आराजी खसरा नबंर 1812 रकबा 0.4865 हैक्टेयर में मला पुत्र नैना के स्थान पर भागूराम पुत्र नेनाराम घोषित किये जाने के आदेश फरमावे ।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

वादी के वाद पत्र को दर्ज रजिस्टर कर पक्षकार तहसीलदार पीपाड़ शहर को नोटिस जारी किया गया। तहसीलदार पीपाड़ शहर से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार वादी का वाद स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम कोसाणा के खसरा संख्या 1812 में मला पुत्र नैना के स्थान पर भागूराम पुत्र नेनाराम किया जाता है तो कोई आपत्ति नहीं है।

हमने पक्षकारान् बहस सुनी, वादी के वाद पत्र एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात एवं तहसीलदार पीपाड़ शहर से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया जिस पर वादी का वादपत्र स्वीकार योग्य होने से वादी का वाद पत्र स्वीकार कर तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेश दिया जाता हैं कि राजस्व ग्राम कोसाणा के खसरा नम्बर 1812 रकबा 0.4865 हैक्टयर भूमि में दर्ज नाम मला पुत्र नैना के स्थान पर भागूराम पुत्र नेनाराम दर्ज कर राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करें।

(नेमा राम)
सहायक कलेक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

निर्णय आज दिनांक 13.10.2025 को सर–ए–इजलास सुनाया गया ।

(नेमा राम)
सहायक कलेक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)